

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

ब्लॉक-5, डॉ. एस.राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर

जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर

फोन नं. 0141-2715505

Email: - smsa.asfe@gmail.com

क्रमांक - समसा/जय/वै.शि/प्रवेशोत्सव/2019-20/ 592

दिनांक: 16/4/2019

निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्।
संयुक्त निदेशक, समस्त संभाग।
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिले।
जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा एवं
अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समस्त जिले।

विषय:- नामांकन वृद्धि, अनामांकित एवं ग्रुप आउट बच्चों को विद्यालय से जोड़ने हेतु प्रवेशोत्सव अभियान के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य में 0 से 18 वर्ष तक के समस्त बालक-बालिकाओं को चिन्हित कर आंगनवाड़ी एवं विद्यालयों से जोड़ा जाना है। इसके लिये विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करते हुये निर्देशित किया जाता है कि संलग्न दिशा-निर्देशों के अनुरूप अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को निर्देशित करें कि वे नामांकन वृद्धि, अनामांकित एवं ग्रुप आउट बच्चों को विद्यालय से जोड़ने हेतु कार्ययोजना बनाकर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

प्रवेशोत्सव कार्यक्रम निम्न दो चरणों में संचालित किया जायेगा-

प्रथम चरण - दिनांक 26.04.2019 से 09.05.2019 तक

द्वितीय चरण - ग्रीष्मावकाश समाप्ति पर द्वितीय चरण प्रारम्भ किया जायेगा, जिसकी तिथि पृथक से सूचित की जायेगी।

संलग्न दिशा-निर्देश अनुरूप कार्ययोजना बनाकर उक्त चरणों में यह सुनिश्चित किया जावे कि आंगनवाड़ी एवं विद्यालय जाने योग्य आयु का कोई भी बालक-बालिका अनामांकित न रहे। साथ ही विद्यालय स्तर पर 0 से 18 वर्ष तक के सभी बालक-बालिकाओं का रिकॉर्ड संचारित किया जावे।

संलग्न- उपरोक्तानुसार

(प्रदीप कुमार बोर्ड)

आयुक्त

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

दिनांक: 16/4/2019

क्रमांक - समसा/जय/वै.शि/प्रवेशोत्सव/2019-20/ 592

प्रतिलिपि निम्न को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, मा. शिक्षा राज्य मंत्री महोदय, (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ट सहायक, मा. राज्य मंत्री महोदय, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, भाषा एवं स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग, राजस्थान सरकार।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
7. निजी सचिव, आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग, राजस्थान सरकार।
8. निजी सचिव, निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
9. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर।
10. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
11. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (II), समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
12. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समितियों (समस्त ब्लॉक) राजस्थान।
13. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, पंचायत समितियों (समस्त ब्लॉक) राजस्थान।
14. समस्त सीबीईओ/पीईईओ/संस्थाप्रधान।
15. रक्षित प्रति।

अतिरिक्त परियोजना निदेशक

**नामांकन वृद्धि, अनामांकित एवं ड्रॉप आउट बच्चों को विद्यालय से जोड़ने
हेतु प्रवेशोत्सव अभियान के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश
सत्र 2019-20**

1. प्रस्तावना

1.1 हमारा संविधान 14 वर्ष तक के सभी बालक/बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने की घोषणा करता है। संविधान में घोषित लक्ष्य की प्राप्ति तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा से जुड़ी प्राथमिक आवश्यकताओं यथा विद्यालय की पहुंच तथा नामांकन के लक्ष्यों को काफी हद तक प्राप्त कर लिया गया है, लेकिन अभी भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं, जो विभिन्न कारणों से विद्यालय नहीं पहुंच पाये हैं अथवा किन्हीं कारणों से विद्यालयों में उनका ठहराव सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। ऐसे सभी बच्चों को विद्यालयों से जोड़ने एवं पूर्व प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर की अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।

1.2 गत वर्षों में शिक्षा विभाग द्वारा चलाये गये प्रवेशोत्सव कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी, शिक्षक, कार्मिक, एवं अभिभावकों द्वारा दिये गये सहयोग से विभाग ने नामांकन वृद्धि में उत्साहजनक सफलता प्राप्त की है। 3 वर्ष से 18 वर्ष के समस्त बालक-बालिकाओं को नामांकित करने के साथ ही उनका विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित किया जाना भी महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा विभाग के साथ-साथ ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा अन्य सम्बन्धित विभागों का योगदान भी महत्वपूर्ण है। अतः विगत सत्र अनुसार शैक्षिक सत्र 2019-20 हेतु इस कार्य के लिए एक वृहद् कार्ययोजना बनाकर प्रत्येक विभाग एवं प्रत्येक स्तर पर कार्य किया जाये एवं पूर्ण नामांकन तथा ठहराव के लक्ष्य को अर्जित करने वाली संस्थाओं संस्थाप्रधानों, शिक्षकों एवं अन्य सहयोगियों को प्रोत्साहित किया जाये।

1.3 इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वर्ष 2019-20 हेतु शिक्षा विभाग द्वारा इस सत्र की वार्षिक परीक्षा के समापन के साथ ही नामांकन वृद्धि एवं ठहराव हेतु एक व्यापक अभियान चलाये जाने का निश्चय किया गया है। शत-प्रतिशत नामांकन, ठहराव एवं शून्य ड्रॉप आउट वाली ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित करने हेतु "उजियारी पंचायत" के रूप में चिन्हित कर सम्मानित किया जायेगा। किसी पंचायत को "उजियारी पंचायत" के रूप में चिन्हित करने हेतु निम्न मापदण्डों को आधार बनाया जायेगा-

1.3.1 3 से 5/6 वर्ष के समस्त बालक-बालिका पूर्व प्राथमिक शिक्षा हेतु अपने निवास क्षेत्र की नजदीकी आगनवाड़ी में नामांकित है।

- 1.3.2 5-6 वर्ष आयु वर्ग के समस्त बालक-बालिका (आंगनबाड़ी में नामांकित/अनामांकित/ड्रॉप आउट) का चिन्हिकरण किया जाकर उनका नामांकन कक्षा 1 में करवा दिया गया है।
 - 1.3.3 कक्षा 5/8/10 में उत्तीर्ण अथवा इन कक्षाओं की परीक्षाओं में प्रविष्ट बालक-बालिकाओं का चिन्हिकरण किया जाकर उनका नामांकन क्रमशः कक्षा 6/9/11 में करवा दिया गया है एवं उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले बालक-बालिकाओं का नामांकन अगली कक्षा में करवा दिया गया है।
 - 1.3.4 कोई भी विद्यार्थी 45 दिन या उससे अधिक अवधि के लिए विद्यालय से अनुपस्थित नहीं रहा है।
 - 1.3.5 यदि कोई विद्यार्थी 45 दिन या उससे अधिक अवधि के लिए विद्यालय से अनुपस्थित रहा है तो उसे पुनः आयु अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिलाकर शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है।
 - 1.3.6 हाउस होल्ड सर्वे के दौरान चिन्हित एवं विद्यालयों में प्रवेशित किये गये समस्त बच्चों की शालादर्पण पोर्टल पर प्रविष्टि कर दी गयी है।
 - 1.3.7 हाउस होल्ड सर्वे के दौरान चिन्हित समस्त आउट ऑफ स्कूल बालक-बालिका विद्यालयों में आयु अनुरूप कक्षाओं में प्रवेशित एवं अध्ययनरत है एवं बच्चों का स्तर आयु अनुरूप कक्षा अनुसार लाने के लिए विशेष शिक्षण करवाया जा रहा है।
 - 1.3.8 ड्रॉप आउट फ्री 'उजियारी पंचायत' के चिन्हिकरण एवं घोषणा हेतु निर्धारित प्रक्रिया के संबंध में राज्य सरकार द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये जावेंगे।
- 1.4 वर्ष 2018-19 में निदेशालय प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् द्वारा जारी नामांकन वृद्धि/प्रवेशोत्सव दिशा निर्देश तथा हाउस होल्ड सर्वे हेतु दिशा निर्देश भी जारी किये गये थे, जिसमें 0-18 वर्ष आयु वर्ग के समस्त बालक-बालिकाओं की पहचान की जाकर विद्यालय स्तर पर रिकॉर्ड का संधारण किया जाना था। सत्र 2019-20 में प्रवेशोत्सव अभियान अन्तर्गत हाउस होल्ड सर्वे के दौरान गत सत्र में संधारित रिकॉर्ड का अपडेशन किया जाकर इस वर्ष 3 वर्ष की आयु प्राप्त समस्त बच्चों को आंगनबाड़ियों में नामांकित किया जाना है तथा 3 वर्ष से कम आयु के समस्त बच्चों का रिकॉर्ड संधारित किया जाना है। 3 से 18 वर्ष के समस्त बच्चों को चिन्हित किया जाकर 3 से 5 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों को आंगनबाड़ियों एवं 5 से 18 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों को विद्यालयों में नामांकित किये जाने हेतु समस्त कार्यालयों एवं विद्यालयों द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य किये जाने आवश्यक है-
- 1.4.1 0 से 18 वर्ष आयुवर्ग के समस्त बालक/बालिकाओं की पहचान की जाकर रिकॉर्ड संधारित किया जाना एवं विगत वर्ष के सर्वे रिकॉर्ड का अपडेशन किया जाना।
 - 1.4.2 चिन्हित बालक-बालिकाओं को आयु अनुरूप कक्षाओं में प्रवेशित किया जाकर शालादर्पण पोर्टल पर प्रविष्टि करना एवं इनके लिये विशेष शिक्षण की व्यवस्था करना।

1.4.3 3 से 18 वर्ष के बालक-बालिकाओं को विद्यालयों से जोड़ने के लिये ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ स्तर पर एवं शहरी क्षेत्र में विद्यालय स्तर पर कार्ययोजना बनाकर हाउस होल्ड सर्वे द्वारा निर्धारित प्रपत्र अनुसार चिन्हित करना एवं चिन्हित समस्त बच्चों के विद्यालयों से नहीं जुड़ पाने अथवा ड्रॉप आउट होने के कारण का पता लगाकर उसी अनुसार कार्ययोजना बनाकर ऐसे बालक-बालिकाओं को विद्यालय से जोड़ा जाना।

1.4.4 समस्त अभिभावकों/ग्रामवासियों/स्थानीय निवासियों को बालक-बालिकाओं हेतु शिक्षण एवं प्रोत्साहन से सम्बन्धित विभिन्न विभागीय योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना।

1.5 उपरोक्त लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु वर्ष 2019-20 में प्रवेशोत्सव कार्यक्रम निम्नानुसार दो चरणों में आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है -

प्रथम चरण - दिनांक 26.04.2019 से 09.05.2019 तक

द्वितीय चरण - दिनांक 09.05.2019 को सार्वजनिक स्थलों पर आयोजित बाल सभाओं में प्रथम चरण की प्रगति की समीक्षा पश्चात् ग्रीष्मावकाश समाप्ति पर द्वितीय चरण प्रारम्भ किया जायेगा, जिसकी तिथि पृथक से सूचित की जायेगी।

2 प्रवेशोत्सव के दौरान एवं 'उजियारी पंचायत' बनाने हेतु विभिन्न स्तरों पर अपेक्षित कार्यों का विवरण

2.1 विद्यालय स्तर पर किये जाने वाले कार्य

2.1.1 अनामांकित/ड्रॉप आउट बालक-बालिकाओं हेतु

- i. आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हिकरण हेतु विभागीय स्तर पर हाउस होल्ड सर्वे किया जा रहा है। इस कार्य के लिये पीईईओ द्वारा अपनी पंचायत के विद्यालयों से वार्डवार अध्यापकों की नियुक्ति की जानी है।
- ii. वार्डवार नियुक्त अध्यापकों द्वारा निर्वाचक नामावली एवं हाउस होल्ड के आधार पर सर्वे किया जाकर 0 से 18 वर्ष के चिन्हित अनामांकित बालक-बालिकाओं की सूची तैयार की जायेगी।
- iii. उपरोक्त के अतिरिक्त सर्वे के दौरान बस स्टैण्ड, निर्माणाधीन भवन, गाँव के बाहर कोई छोटी बस्ती, ढाणी, मजरा, पुरवा, खेत पर रहने वाले परिवार, मौसमी पलायन से उपलब्ध परिवार को भी सम्मिलित किया जाकर बालक-बालिकाओं को चिन्हित एवं सूचिबद्ध किया जायेगा।
- iv. हाउस होल्ड सर्वे में चिन्हित 0 से 5 एवं 5 से अधिक 18 वर्ष तक के बालक-बालिकाओं को आंगनबाड़ियों, विद्यालयों, स्टेट ओपन, पत्राचार पाठ्यक्रमों अथवा अन्य शैक्षिक संस्थानों से आयु अनुरूप कक्षाओं में जोड़ा जायेगा। आंगनबाड़ियों एवं राजकीय विद्यालयों में प्रवेश योग्य समस्त बालक-बालिकाओं का विवरण प्रपत्र-1 (संलग्न) के अनुसार शालादर्पण पर OoSC मॉड्यूल में प्रविष्ट किया जायेगा।

- v. हाउस होल्ड सर्वे में चिह्नित समस्त आउट ऑफ स्कूल बच्चों को शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्ट किया जाना है। इन बच्चों में से विद्यालयों में नामांकित किये गये बच्चों को शाला दर्पण पोर्टल पर नवप्रवेशित मॉड्यूल में आयु अनुसार प्रवेश से प्रविष्ट किया जाना है। जिन बच्चों को किन्हीं कारणों से विद्यालय में तुरन्त नामांकित नहीं किया जा सका है, ऐसे चिह्नित बच्चों का विवरण OoSC मॉड्यूल में प्रपत्र-1 अनुसार प्रविष्ट करना है। विद्यालय में नामांकित होने पर इन बच्चों की आगे की प्रविष्टि इसी मॉड्यूल से की जायेगी।
- vi. हाउस होल्ड सर्वे का कार्य प्रवेशोत्सव में पूर्ण किया जाकर चिह्नित बालक-बालिकाओं का उनके निवास स्थान के नजदीकी (आदर्श/उत्कृष्ट/अन्य) विद्यालयों में नामांकन सुनिश्चित किया जावेगा तथा आवश्यकतानुसार **Condensed Course / Bridge Course** के माध्यम से विशेष शिक्षण कराया जाकर आयु अनुसार प्रवेशित कक्षा के स्तर पर लाया जायेगा।

2.1.2 पूर्व से विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु

- i. विद्यालय में अध्ययनरत बालक-बालिकाओं का अगली कक्षा में नामांकन सुनिश्चित किया जायेगा।
- ii. विद्यालय में पूर्व से अध्ययनरत कक्षा 5, 8, 10 के विद्यार्थियों को निदेशालय प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा विभाग के आदेशानुसार वार्षिक परीक्षाओं के तुरन्त पश्चात् आगामी कक्षाओं में प्रोविजनली/अस्थाई तौर पर नामांकित किया जावेगा। (संलग्न)

2.1.3 विद्यालय में अध्ययनरत/अनामांकित/ड्रॉप आउट बालक-बालिकाओं के नामांकन हेतु किये जाने वाले अन्य कार्य

- i. ग्रीष्मावकाश से पूर्व एसएमसी/एसडीएमसी की अन्तिम दो बैठकों में सभी सदस्यों एवं अभिभावकों को अपने बच्चों का राजकीय विद्यालयों में नामांकन बनाये रखने एवं अन्य अभिभावकों को नामांकन कराने बाबत प्रेरित किये जाने के संबंध में चर्चा की जाये।
- ii. प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के प्रथम चरण का शुभारम्भ दिनांक 26.04.2019 को विद्यालय में समस्त अभिभावकों एवं अन्य ग्रामवासियों को आमंत्रित किया जाकर "शिक्षा उत्सव कार्यक्रम" का आयोजन किया जावे।
- iii. शिक्षा उत्सव कार्यक्रम में पीईईओ आवश्यक रूप से उपस्थित रहकर नामांकन बढ़ोतरी, अनामांकित/ड्रॉप आउट बालक-बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव के संबंध में अभिभावकों/ग्रामवासियों को प्रेरित करें। इस दिन कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद, पंचायत के प्रबुद्ध व्यक्तियों के उद्बोधन एवं शिक्षा विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों यथा बीडीओ/ डीईओ/ एडीपीसी/ सीडीपीओ (आईसीडीएस) आदि को भी आमंत्रित किया जा सकता है।

- iv. शिक्षा उत्सव कार्यक्रम में विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं एवं राज्य सरकार की प्रोत्साहन योजनाओं यथा ट्रांसपोर्ट वाऊचर, लैपटॉप योजना, गार्गी पुरस्कार इत्यादि के संबंध में जानकारी दी जावे।
- v. नवीन प्रवेश हेतु पात्र बालक-बालिकाओं के अभिभावकों को विद्यालय में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों द्वारा हस्तनिर्मित "विद्यालय नामांकन आमंत्रण पत्र" भिजवाये जाकर विद्यालय में नामांकन हेतु आकर्षित/प्रेरित किया जावे।
- vi. विद्यार्थियों की टोली बनाकर अभिभावकों को प्रवेशोत्सव कार्यक्रम की जानकारी उपलब्ध करवायी जावे।
- vii. विद्यालय में प्रपत्र 1 के अनुसार विलेज एजुकेशन रजिस्टर (VER) संधारित किया जाये, जिसमें 0 से 18 वर्ष आयु के समस्त अनामांकित/ड्रॉप आउट बालक-बालिकाओं से सम्बन्धित सूचनायें अद्यतन रखी जायें।
- viii. विद्यालय में अथवा निकटस्थ आंगनबाड़ी में नामांकित 5 या अधिक वर्ष के बालक-बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित किया जावे।
- ix. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को निर्देशित किया जावे कि वह माताओं को प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के दौरान पात्र बालक-बालिकाओं को आंगनबाड़ी एवं विद्यालय में नामांकित करवाने हेतु प्रेरित करें।
- x. विद्यालय द्वारा अपने फीडर (कैंचमेण्ट) क्षेत्र में जागरूकता रैली, प्रभात फेरी, नामांकन मार्च, चौपाल, मौहल्ला बैठक आदि के आयोजन, लाउड स्पीकर एवं पेम्फलेट के माध्यम से ग्रामवासियों को विद्यालय में नामांकन करवाये जाने हेतु प्रेरित किया जावे।
- xi. प्रथम चरण के सर्वे के अन्तिम दिन दिनांक 09.05.2019 को समस्त विद्यालयों द्वारा गाँव के सार्वजनिक स्थान पर बाल सभा का भव्य आयोजन किया जायेगा। इस बाल सभा में अभिभावकों, ग्रामवासियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं क्षेत्र के प्रबुद्ध व्यक्तियों तथा सम्मानित पदों पर कार्यरत विद्यालय के पूर्व छात्रों को आमंत्रित कर उनके समक्ष वार्ड एवं ग्राम के सर्वे में चिन्हित अनामांकित/ड्रॉप आउट बच्चों की सूची पढ़कर सुनाई जावे तथा इन बच्चों में से विद्यालयों में नामांकित किये गये एवं नामांकन से शेष बच्चों के नाम पढ़कर सुनाये जावे। शेष बच्चों को विद्यालयों में नामांकित किये जाने के संबंध में ग्रामवासियों से चर्चा की जाकर प्राप्त फीडबैक अनुसार ग्रामवासियों के सहयोग से समस्त बच्चों को विद्यालयों में नामांकित किये जाने का प्रयास किया जावे। नामांकित बच्चों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण किया जावे। पंचायत के प्रमुख स्थानों यथा - पंचायत भवन, अटल सेवा केन्द्र, कृषि सेवा केन्द्र, धार्मिक स्थल, चौपाल, स्थानीय बस स्टेण्ड आदि पर वार्डवार चिन्हित एवं नामांकित/अनामांकित बच्चों की सूची चस्पा की जावे।

- xii. कक्षा 6, 7, 9 एवं 11 की वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषणा तथा प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 4 के विद्यार्थियों को रिपोर्ट कार्ड वितरण दिनांक 09.05.2019 को आयोजित वृहद बाल सभा में किया जावे। इस दिन सार्वजनिक स्थान पर आयोजित वृहद बाल सभा में वार्षिक परीक्षा परिणाम की घोषणा तथा प्रगति पत्रों का वितरण अभिभावकों एवं ग्रामीणों के सम्मुख किया जाना सुनिश्चित करें।
- xiii. ग्राम पंचायत की मासिक बैठक (प्रत्येक माह की 5 व 20 तारीख) में भी सर्वे में चिन्हित अनामांकित/ड्रॉप आउट बच्चों की ग्रामवार सूची पढ़कर सुनाई जावे।
- xiv. सर्वे के दौरान चिन्हित बालक-बालिकाओं की सूची वार्डवार, ग्रामवार संघारित करना तथा पीईईओ/सीबीईईओ कार्यालय के माध्यम से शाला दर्पण पोर्टल पर अपडेट कराया जावे।
- xv. ग्रीष्मावकाश के उपरान्त प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का द्वितीय चरण प्रारम्भ किया जायेगा। इसमें विद्यालय द्वारा प्रथम चरण के सर्वे की प्रगति की समीक्षा की जाकर प्रथम चरण के सर्वे में शेष रहे अनामांकित/ड्रॉप आउट बच्चों को चिन्हित किया जावे।
- xvi. शैक्षणिक वर्ष के प्रारम्भ में विद्यालय की प्रारम्भिक कक्षाओं में नामांकित विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिये कक्षा शिक्षण के दौरान रुचिकर गतिविधियों का समावेशन किया जाये।
- xvii. विद्यालय में पूर्व से अध्ययनरत विद्यार्थियों में जो विद्यार्थी कक्षा स्तर से निम्न स्तर पर है, उन्हें भी शैक्षणिक वर्ष के प्रारम्भ में 45 दिन तक Bridge Course / remedial Course के माध्यम से कक्षा स्तर पर लाया जायेगा एवं उक्त कार्य विद्यालयों में बीएसटीसी/बीएड इन्टर्न द्वारा तथा बीएसटीसी/बीएड इन्टर्न नहीं होने पर विद्यालयों में तृतीय श्रेणी लेवल-1 अध्यापकों द्वारा करवाया जायेगा।

3. सर्वकर्ता शिक्षक के दायित्व

- 3.1 हाउस होल्ड सर्वे अन्तर्गत अनामांकित व ड्रॉप आउट बच्चों संबंधी प्रपत्र 1 को भरा जावे।
- 3.2 प्रपत्र पूर्ण रूप से भरा जावे एवं कोई कॉलम खाली न रहे।
- 3.3 आवंटित वार्ड में सुनिश्चित करें कि कोई भी घर, ढाणी, वास (हेबीटेशन), पुरबा या अस्थाई परिवार सर्वे से वंचित न रहे।
- 3.4 निर्धारित अवधि में सर्वे कार्य पूरा कर अनामांकित व ड्रॉप आउट बच्चों की सूची 0 से 5 वर्ष एवं 5 से अधिक 18 वर्ष तक के समूह में सम्बन्धित संस्था प्रधान को जमा करावें।
- 3.5 चिन्हित बालक-बालिकाओं की सूचना शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्टि कराने में पीईईओ कार्यालय को सहयोग करें।

4. पीईईओ स्तर पर किये जाने वाले कार्य

- 4.1 वार्षिक परीक्षाओं के तुरंत पश्चात एवं ग्रीष्मावकाश से पूर्व अपने विद्यालय के अध्यापकों, मेन्टर टीचर एवं समस्त अधीनस्थ विद्यालयों के संस्था प्रधान/हैड टीचर के साथ आगामी शैक्षणिक वर्ष हेतु तैयारी बैठक की जावे।
- 4.2 पंचायत के प्रबुद्ध नागरिकों/सक्रिय ग्रामीणों/विद्यालय के पूर्व छात्र जो सम्मानित पदों पर कार्यरत हैं, के साथ विद्यालय में नामांकन हेतु चर्चा की जाकर सहयोग प्राप्त किया जावे।
- 4.3 ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी/कृषि पर्यवेक्षक/ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/एएनएम/अन्य विभागों के पंचायत स्तरीय कार्मिकों आदि के साथ नामांकन कार्यक्रम को साझा किया जावे एवं हाउस होल्ड सर्वे हेतु पंचायत में वार्डवार नवीनतम निर्वाचक नामावली प्राप्त की जावे।
- 4.4 पंचायत में वार्डवार अध्यापकों को नियुक्त किया जाकर हाउसहोल्ड सर्वे किये जाने के आदेश प्रसारित किये जावे।
- 4.5 समस्त संस्था प्रधान/हैड टीचर/टीचर को निर्देशित करें कि सर्वे के दौरान विद्यालय में नामांकन हेतु अभिभावकों को विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं एवं राज्य सरकार की विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के संबंध में जानकारी दी जावे।
- 4.6 वार्डवार नियुक्त अध्यापक द्वारा निर्वाचक नामावली अनुसार एवं नामावली के अतिरिक्त हाउसहोल्ड का सर्वे किया जाकर सूचियाँ तैयार की जावें। तैयार सूचियों में 0 से 5 वर्ष एवं 5 से अधिक, 18 वर्ष तक की आयु के बालक-बालिकाओं की सूची अलग-अलग तैयार की जावे।
- 4.7 सर्वे में चिन्हित बालक-बालिकाओं की शाला दर्पण पोर्टल पर तुरंत प्रविष्टि/अपडेशन कराया जाना सुनिश्चित किया जावे।
- 4.8 पंचायत में हाउसहोल्ड सर्वे का कार्य प्रवेशोत्सव चरण प्रथम में आवश्यक रूप से पूर्ण कर लिया जावे तथा द्वितीय चरण में चिन्हित बालक-बालिकाओं का शत प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित किया जावे।
- 4.9 चिन्हित अनामांकित/ड्रॉप आउट बालक-बालिकाओं को आयु अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिया जावे तथा आवश्यक होने पर विशेष शिक्षण कराया जाकर आयु अनुसार कक्षा का स्तर प्राप्त किया जावे।
- 4.10 विगत सत्र/इस सत्र में नामांकित किये गये समस्त आउट ऑफ स्कूल बच्चों को आयु अनुसार कक्षा के स्तर पर लाने के लिये विशेष शिक्षण दिया जाना आवश्यक है। अतः इन समस्त विद्यार्थियों को पृथक से विशेष शिक्षण की व्यवस्था की जाकर इन्हें कक्षा स्तर पर लाया जावे। परिषद द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार इनके लिये विशेष प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जावे।

- 4.11 अपने एवं अधीनस्थ विद्यालयों की एवं निकटस्थ आंगनबाड़ी केन्द्रों में नामांकित 5 वर्ष से अधिक आयु वाले बालक-बालिकाओं को विद्यालय में नामांकित करवाया जाना सुनिश्चित किया जावे एवं इस बाबत मेन्टर टीचर अपने विद्यालय में निकटस्थ स्थित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम में सहयोग हेतु चर्चा करे एवं प्रगति की समीक्षा करें।
- 4.12 अपनी पंचायत के प्रत्येक विद्यालय में प्रपत्र 1 के आधार पर विलेज एजुकेशन रजिस्टर (VER) रजिस्टर का संधारण एवं अपडेशन सुनिश्चित किये जाने बाबत समस्त संस्थाप्रधानों को निर्देशित किया जावे एवं इस कार्य की प्रभावी मॉनिटरिंग की जावे।
- 4.13 अनामांकित/ड्रॉप आउट/नवीन प्रवेश हेतु पंचायत क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार, रैली, प्रभातफेरी, चौपाल, बैनर निर्माण, मौहल्ला, चौराहा बैठकों, लाउड स्पीकर एवं पेम्फलेट के माध्यम से विद्यालयों में नामांकन/नामांकन वृद्धि हेतु प्रयास किया जावे।

5. ब्लॉक स्तर पर किये जाने वाले कार्य

- 5.1 ब्लॉक स्तर पर नामांकन बढ़ोतरी, अनामांकित/ड्रॉप आउट बालक-बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव से सम्बन्धित समस्त गतिविधियों हेतु कार्ययोजना निर्माण एवं पर्यवेक्षण उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में गठित ब्लॉक स्तरीय निष्पादन समिति द्वारा किया जायेगा।
- 5.2 बैठक में बीडीओ, सीबीईईओ, ब्लॉक आरपी, सीडीपीओ (महिला एवं बाल विकास विभाग), समस्त पीईईओ एवं उत्कृष्ट संस्थाप्रधानों द्वारा नामांकन/प्रवेशोत्सव कार्यक्रम आयोजन के संबंध में सहयोग एवं समन्वयन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 5.3 ब्लॉक विकास अधिकारी द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी को निर्देशित किया जावे कि समस्त पीईईओ को पंचायत की वार्ड वाइज नवीनतम निर्वाचक नामावली उपलब्ध करवायी जावे।
- 5.4 ब्लॉक विकास अधिकारी अपने क्षेत्र के विद्यालयों में आयोजित शिक्षा उत्सव कार्यक्रम में यथासम्भव शामिल होकर अभिभावकों को प्रोत्साहित करेंगे।
- 5.5 ग्रीष्मावकाश पश्चात् आयोजित होने वाली ब्लॉक स्तरीय निष्पादन समिति की बैठकों में उपखण्ड अधिकारी द्वारा नामांकन बढ़ोतरी, अनामांकित/ड्रॉप आउट बालक-बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव में लक्ष्य के विरुद्ध की गई प्रगति की समीक्षा की जायेगी।
- 5.6 नामांकन बढ़ोतरी, अनामांकित/ड्रॉप आउट बालक-बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव हेतु पीईईओ द्वारा किये जाने वाले समस्त कार्य शहरी क्षेत्र में सम्बन्धित सीबीईईओ द्वारा किये जायेंगे।
- 5.7 प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के दौरान हाउस होल्ड सर्वे के लिये ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत के वार्ड की निर्वाचक नामावली को आधार माना जाये।
- 5.8 ब्लॉक स्तर पर शहरी क्षेत्रों में निर्वाचक नामावली के साथ-साथ बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, प्रमुख धार्मिक स्थलों/चौराहों, निर्माणाधीन भवन, बेघर/धुमन्तु/मौसमी पलायन एवं कच्ची

बस्ती के परिवारों, पुल के नीचे रहने वाले परिवारों का भी सर्वे किया जाकर 0 से 18 वर्ष के बालक-बालिकाओं को सीबीईईओ द्वारा चिन्हित एवं सूचीबद्ध किया जावे।

5.9 हाउस होल्ड सर्वे में चिन्हित 0 से 18 वर्ष के बालक-बालिकाओं का वार्डवार एवं राजस्व ग्रामवार रिकॉर्ड संधारण किया जावे।

5.10 सीबीईईओ द्वारा शहरी क्षेत्र में चिन्हित बालक-बालिकाओं को वार्डवार एवं क्षेत्रवार शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्टि/अपडेट कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5.11 ब्लॉक स्तरीय समिति द्वारा 2 सदस्य टीम गठित कर अपने ब्लॉक के कम से कम 10 प्रतिशत विद्यालयों के सर्वे का रैण्डम वेरिफिकेशन कराया जावे एवं वेरिफिकेशन रिपोर्ट जिले को प्रस्तुत की जावे।

6 जिला स्तर पर किये जाने वाले कार्य

6.1 जिला स्तर पर नामांकन बढ़ोतरी, अनामांकित/ड्रॉप आउट बालक-बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव से सम्बन्धित समस्त गतिविधियों हेतु कार्ययोजना निर्माण एवं पर्यवेक्षण मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा।

6.2 बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी प्राशि एवं माशि, उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला जन संपर्क अधिकारी को आमंत्रित किया जाकर कार्यक्रम आयोजन के संबंध में सहयोग एवं समन्वयन सुनिश्चित किया जायेगा।

6.3 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद द्वारा समस्त ब्लॉक विकास अधिकारियों के माध्यम से ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारियों को निर्देशित किया जावे कि समस्त पीईईओ को पंचायत की वार्ड वाइज नवीनतम निर्वाचक नामावली उपलब्ध करवायी जावे तथा कार्यक्रम में आवश्यक सहयोग प्रदान किया जावे।

6.4 उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा समस्त सीडीपीओ के माध्यम से समस्त आंगनवाड़ी पर्यवेक्षकों/कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं को कार्यक्रम में आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु निर्देशित किया जावे।

6.5 जिला स्तरीय समिति के सदस्य एवं अन्य आमंत्रित सदस्य जिले के अलग-अलग स्थानों पर विद्यालयों में आयोजित होने वाले शिक्षा उत्सव कार्यक्रम में यथासम्भव शामिल होकर अभिभावकों को प्रोत्साहित करेंगे।

6.6 मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा विभिन्न जिला स्तरीय अधिकारियों की टीमों बनाकर विद्यालयों में नामांकन बढ़ोतरी, अनामांकित/ड्रॉप आउट बालक-बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव से सम्बन्धित गतिविधियों का सघन पर्यवेक्षण एवं प्रगति की समीक्षा नियमित रूप से करवायी जावे।

6.7 मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 2 सदस्यीय टीम गठित कर अपने जिले के समस्त ब्लॉक के कम से कम 5 प्रतिशत विद्यालयों के सर्वे का रैण्डम वेरिफिकेशन कराया जावे।

7. गैर सरकारी संस्थाओं की भूमिका

सरकारी विद्यालयों में नामांकन, ड्रॉप आउट/अनामांकित बालक-बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये जिला, ब्लॉक, पंचायत एवं स्थानीय स्तर पर कार्यरत गैर सरकारी संस्थाओं, स्वैच्छिक संस्थाओं/समूहों का यथासम्भव सहयोग लिया जावे।

8. प्रचार-प्रसार

- 8.1 नवीन शैक्षणिक वर्ष प्रारम्भ होने से पूर्व विद्यालयों में नामांकन हेतु प्रत्येक स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जावे।
- 8.2 प्रचार-प्रसार के लिये मीडिया माध्यमों - प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि का उपयोग किया जावे तथा यथा सम्भव प्रत्येक दिन जिले में कार्यक्रम प्रगति के संबंध में समाचार पत्र में समाचार प्रकाशित करावें और इसके संबंध में आवश्यक सहयोग हेतु जिला जन संपर्क अधिकारी के साथ निरन्तर संपर्क रखा जावे।
- 8.3 नामांकन बढ़ोतरी/अनामांकित/ड्रॉप आउट बालक-बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव से सम्बन्धित कार्यक्रम के प्रथम एवं द्वितीय चरण के प्रारम्भ से पूर्व जिला स्तर पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाकर जिले के समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित करवाया जावे।
- 8.4 अनामांकित/ड्रॉप आउट बच्चों के विद्यालय में नामांकन हेतु जिला, ब्लॉक व पंचायत के मुख्य स्थानों यथा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मन्दिर, सामुदायिक केन्द्र आदि पर दीवार लेखन, लाउड स्पीकर, पम्फलेट वितरण एवं बैनर्स लगाये जायें।
- 8.5 विद्यालय में शिक्षक-अभिभावक परिषद की बैठक की जाकर सहभागियों को नामांकन में सहयोग बाबत प्रेरित किया जावे।
- 8.6 मौहल्ला बैठकों द्वारा विद्यालयों से वंचित हुये बच्चों को पुनः शिक्षण से जोड़ने के लिये अभिभावकों को प्रेरित किया जावे।
- 8.7 प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के दौरान "नामांकन कार्यक्रम" को केन्द्र में रखकर विद्यालय में बालसभा, खेलकूद प्रतियोगिताएँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम, चित्रकला प्रतियोगिता, प्रदर्शनी आदि का आयोजन किया जावे।
- 8.8 दिनांक 09.05.2019 को सार्वजनिक स्थान पर आयोजित बाल सभा में प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के प्रथम चरण के दौरान नवप्रवेशित बच्चों एवं अभिभावकों का स्वागत किया जावे।
- 8.9 प्रवेशोत्सव के दौरान नव प्रवेशित बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया जावे।
- 8.10 क्षेत्र की आंगनबाड़ियों में नामांकित एवं विद्यालय में प्रवेश योग्य बच्चों के अभिभावकों से सम्पर्क किया जाकर बच्चों को विद्यालय में नामांकन कराये जाने हेतु प्रेरित किया जावे।

9. सराहनीय कार्य करने वाले संस्था प्रधानों/शिक्षकों/अभिभावकों को प्रोत्साहन

- 9.1 प्रत्येक विद्यालय/ग्राम पंचायत पर नामांकन के लिये उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को राष्ट्रीय दिवसों के कार्यक्रम में सम्मानित किया जावे।
- 9.2 प्रत्येक पंचायत समिति में उत्कृष्ट कार्य करने वाले तीन संस्थाप्रधानों /शिक्षकों को उपखण्ड स्तर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में सम्मानित किया जावे।
- 9.3 प्रत्येक जिले में श्रेष्ठ कार्य करने वाले पाँच संस्थाप्रधानों /शिक्षकों को जिला स्तर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में सम्मानित किया जावे।
- 9.4 राज्य स्तर पर शिक्षा संकुल में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में प्रत्येक जिले से श्रेष्ठ कार्य करने वाले एक संस्था प्रधान को सम्मानित किया जावे।
- 9.5 श्रेष्ठ कार्य करने वाले विद्यालय/संस्थाप्रधान/शिक्षक का चयन राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् द्वारा बनाये गये मानदण्डों के आधार पर किया जायेगा और इस बाबत परिषद् द्वारा अलग से दिशा निर्देश जारी किये जायेंगे।
- 9.6 प्रत्येक ब्लॉक के सर्वाधिक नामांकन वाले दो उच्च माध्यमिक विद्यालयों, एक माध्यमिक विद्यालय, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं एक प्राथमिक विद्यालय को अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जायेगा।
- 9.7 प्रत्येक ब्लॉक में वर्तमान सत्र में सर्वाधिक नामांकन वृद्धि करने वाले दो उच्च माध्यमिक विद्यालयों, एक माध्यमिक विद्यालय, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं एक प्राथमिक विद्यालय को अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जायेगा।

10. शैक्षिक सत्र 2019-20 में किसी भी प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय अथवा उच्च माध्यमिक विद्यालय के नामांकन में अप्रत्याशित कमी आने पर जिम्मेदारी तय की जाकर आवश्यक प्रशासनिक कार्यवाही की जावेगी।



(प्रदीप कुमार बोरड़)

आयुक्त

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद

